



**ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT**

**Highlights of Press Briefing
2021**

09 January,

Shri Randeep Singh Surjewala, General Secretary, AICC addressed media at AICC Hdqrs. today.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार षडयंत्रकारी तरीके से न्याय मांग रहे देश के अन्नदाता को थकाने और झुकाने की साजिश पर काम कर रही है। काले कानून खत्म करने की बजाए, 40 दिनों से मीटिंग-मीटिंग खेल रही है तथा किसानों को तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दे रही है। 73 साल के देश के इतिहास में ऐसी निर्दयी, जुल्मी और निष्ठुर सरकार शायद कभी नहीं बनी, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी और देश की एक अंग्रेज सरकार को भी पीछे छोड़ दिया।

40 दिन से अधिक से लाखों अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं पर काले कानून खत्म करने की गुहार लगा रहे हैं। हाड़ कंपकंपाती सर्दी, बारीश और ओलों के बीच 60 से अधिक अन्नदाताओं ने दम तोड़ दिया। देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के मुँह से आज तक देश पर कुर्बान होने वाले उन 60 किसानों के लिए सांत्वना का एक शब्द भी नहीं निकला। साफ है कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार 60 किसानों की कुर्बानी के लिए, मौत के लिए सीधी-सीधी जिम्मेवार है।

ये लड़ाई किसानों की आजीविका और मोदी सरकार की अवसरवादिता के बीच की है। ये लड़ाई किसानों की खुदारी और मोदी सरकार की खुदगर्जी के बीच है। ये लड़ाई किसानों की बेबसी और मोदी सरकार की बर्बरता के बीच है। ये लड़ाई सत्ता के सिंहासन पर मदमस्त सरकार और न्याय मांगते सड़कों पर बैठे हुए देश के किसानों के बीच है और ये लड़ाई दीया और तूफान के बीच है। किसान देश की उम्मीदों का दीप है और सरकार मुट्ठीभर पूंजीपतियों के हित साधने के लिए, मुट्ठीभर पूंजीपतियों की ड्योढी पर बिकी हुई सरकार इस देश का सब कुछ तबाह कर देने वाला तूफान है।

कमाल ये भी है कि 73 साल में पहली बार देश में ऐसी सरकार है, जो अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाकर किसानों से कहती है, तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सरकार को जनता ने चुना है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। किसानों ने चुना है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। फिर उसी जनता और अन्नदाता को सरकार कहीं और क्यों भेजना चाहती है? क्या मोदी जी जवाब देंगे? ये तीनों विवादास्पद काले कृषि

कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाए, जबरन प्रजातंत्र का अपहरण कर देश की संसद में मोदी सरकार ने बनाए हैं। किस तरह बनाए, क्यों बनाए, किसके लिए बनाए, पूरे देश ने देखा और पूरा देश जानता है। फिर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला क्यों झाड़ रही है, टल क्यों रही है? नीतिगत फैसले लेने के लिए मोदी सरकार जवाबदेह है, ना कि सुप्रीम कोर्ट।

भारतीय संविधान ने भी ये जिम्मेदारी कोर्ट को नहीं दी, ये कानून बनाने की जिम्मेदारी और खत्म करने की जिम्मेदारी देश की संसद को दी है और मोदी जी अगर आप कानून बनाने और खत्म करने में अक्षम हैं, तो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम कहते हैं कि इस्तीफा देकर घर चले जाईए, आपको एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं बचा।

इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये निर्णय किया है कि किसानों के समर्थन में 15 जनवरी को हर प्रांतीय हैडक्वार्टर पर कांग्रेस पार्टी 'किसान अधिकार दिवस' के रूप में एक जन आंदोलन तैयार करेगी। धरना प्रदर्शन और रैली के बाद, राजभवन तक मार्च कर हर स्टेट हैडक्वार्टर में कांग्रेस और किसान देश की अहंकारी सरकार को न्याय की गुहार लगाएंगे कि तीनों काले कानून खत्म करो, केवल एक मांग है।

समय आ गया है कि मोदी सरकार देश के अन्नदाता की चेतावनी को समझ ले, क्योंकि अब देश का किसान इन काले कानूनों को खत्म करवाने के लिए 'करो और मरो' की राह पर चल पड़ा है।

एक प्रश्न के उत्तर में श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आज संगठन महासचिव श्री के सी वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में सभी महासचिवगणों और प्रदेश के प्रभारियों की बैठक हुई। उसमें मोदी सरकार की निर्दयता, निर्ममता और निष्ठुरता को देखते हुए और कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश के अनुरूप एक स्वर से एक सहमति से ये निर्णय लिया गया कि देश के किसान के साथ कांग्रेस को मजबूती से खड़ा होना होगा। देश का एक-एक नागरिक 130 करोड़ नागरिक इस बात के लिए बाध्य हैं, उनका कर्तव्य है कि वो देश के किसानों के साथ खड़े हो जाएं और इसलिए निर्णय किया है कि एक जन आंदोलन, प्रदेश स्तरीय जन आंदोलन, हर प्रदेश हैडक्वार्टर पर किया जाएगा, जिसे किसान अधिकार दिवस 15 जनवरी को हमने नाम दिया है, ताकि 10-11 और 12 बजे ये आंदोलन होगा, वार्ता से पहले, पूरे देश से जो एक बलबला आएगा, 15 जनवरी को जब सरकार किसानों से वार्ता करे तो ये जान ले कि पूरे देश ने अंगड़ाई और करवट ली है और किसानों की बात सुननी पड़ेगी, उसके बाद राज भवन तक मार्च कर केन्द्र सरकार को ये संदेश दिया जाएगा कि इन तीनों काले कानूनों को खत्म किया जाए।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री सुरजेवाला ने कहा कि जब सत्ता का अहंकार सिर चढ़कर बोले, जब चुने हुए प्रतिनिधि अपने आप को सम्राट और राजा मानने लगे, जब हर नागरिक के अधिकारों को कुचला जाए, वो किसान हों, जवान हों, नौजवान हों, छोटा दुकानदार हो, छोटा व्यापारी हो, उद्यमी हो, तो फिर ऐसी सरकार के खिलाफ जन आंदोलन तैयार करना विपक्षी दलों और देश के नागरिकों का कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि मोदी सरकार वोट की ताकत से चुनी जरूर गई, परंतु लगभग पिछले एक वर्ष के अंदर मोदी सरकार ने सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। ऐसी सरकार क्या आपने सुना है, 73 वर्षों में कोई ऐसी सरकार हो जो ये कहे कि हमसे हल नहीं होता, किसानों तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगी अब? सुप्रीम कोर्ट ने बनाए थे ये तीनों काले कानून? सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कानून बनाने का? कानून बनाने का अधिकार

संसद को है, जहाँ जनमत का अपहरण कर, चीर हरण कर ये काले कानून बनाए गए थे और इसलिए मोदी सरकार को अपना अहंकार त्याग, पूंजीपतियों की डयोढ़ी पर चंद सिक्कों की खनक में बिकी हुई मोदी सरकार को अपना अहंकार त्याग, अब किसान की पुकार को सुनना चाहिए और काले कानून खत्म करने चाहिए।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री सुरजेवाला ने कहा कि अहंकार से चूर मोदी सरकार मीटिंग-मीटिंग खेल रही है। किसानों को तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दे रही है। किसान फिर भी न्याय की गुहार, देश की सरकार से न लगाए तो किसान कहाँ जाएगा आप बताइए? इसलिए मैंने कहा- ये लड़ाई किसान की आजीविका और सरकार की अवसरवादिता के बीच है। ये लड़ाई किसान की खुदारी और मोदी सरकार की खुदगर्जी के बीच है। ये लड़ाई देश का पेट पालने वाले और उसका बेटा जो देश के जवान के तौर पर देश की रक्षा करता है, आज न्याय की गुहार मांग रहा है, किसान की बेबसी और मोदी सरकार की बर्बरता के बीच है, इसलिए मोदी जी, तारीखें देना बंद करिए और काले कानून खत्म करिए। सच्चाई यही है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री सुरजेवाला ने कहा कि देश का दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री के पास तो 60 अन्नदाता मर गए, दम तोड़ गए, हाड़ कंपकंपाती सर्दियों में, बारिश में, ओलो में, देश की राजधानी की सीमा पर वो बैठे हैं पर मोदी जी ने आज तक सांत्वना का एक शब्द न उन किसानों के प्रति और न उन मरहूम कुर्बान हुए किसानों के परिवारों के प्रति कहा, इससे ज्यादा शर्मनाक बात देश के प्रधानमंत्री के लिए शायद कोई नहीं हो सकती।

On another question about the proposed Congress agitation for January 15, Shri Surjewala said- This is a state level demonstration cum rally and day has been named as 'Kisan Adhikar Divas'. The demand is to repeal the three black laws, the demand is also the roll back of the petrol and diesel prices, which are finally affecting the farmer and the common man, and farmers have also said- there is only one demand- repeal three anti-agriculture black laws, that's the demand. It is a clarion call across the country, given by the Congress Party, in solidarity with India's Annadata for the Government to wake up from its slumber and to repeal the three black laws.

On another question, Shri Surjewala said- Dupe and deceive India's Annadata- India's farmers, is the only policy being followed by the Modi Government. Modi Government is playing meeting-meeting with India's farmers. Modi Government is attempting to dupe and deceive India's farmers by giving them date after date after date. Modi Government is trying to tire out India's Annadatas, for over 40 days Annadata's have sat at the doors steps of the national capital of Delhi. Over 60 farmers have given their lives. Farmers are braving extreme cold weather, rain, hailstorms as also other vagaries of weather, yet rulers of Delhi refuse to listen to the cry for saving the livelihood and lives of India's farmers. Never has, in the 73 years history of this country, been such a cruel Government ever on the seat of the power.

Modi Government is now same as the East India Company as also the Britishers, who immeasurably tortured Indians for decades together until the Indian National Congress along with people of this country, threw them out of the power. The same kind of 'Satyagrah', the same kind of 'Andolan' is taking

place today, which will be a turning point in Independent India's history. This turning point will ensure either this Government accepts the demand for repeal of the three black laws, listens to the agony and anguish of India's farmer, listen to their cry of pain and suffering, listen to their cry for saving their lives and livelihoods or Modi Government needs to get out, leave the seat of power and go back, for farmers will neither be cowed down nor bent.

एक प्रश्न पर कि कल की मीटिंग के बाद लग रहा है कि सरकार जबरन किसानों को सुप्रीम कोर्ट भेजना चाहती है, लेकिन किसान सुप्रीम कोर्ट जाने से मना कर रहे हैं, क्या कहेंगे, श्री सुरजेवाला ने कहा कि जहाँ तक बार-बार सुप्रीम कोर्ट जाने, सरकार के द्वारा यह कहने कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट जाओ और किसानों ने जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात को सीरे से कल खारिज किया, मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ, देश की सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी अंतरआत्मा में झांक कर देखने की जरूरत है। क्या कारण है कि देश के अन्नदाता को देश की सुप्रीम कोर्ट में जाना मंजूर नहीं? क्या कारण है कि ये सरकार बार-बार वो सीएए, एनआरसी हो, वो राफेल हो, वो हैबियस कॉर्पस हो, वो तीन काले कानून हों, जिनका हल देश की संसद में निकलना चाहिए, उनका हल देश की सुप्रीम कोर्ट से निकलवाना चाहती है और जब देश के 62 करोड़ अन्नदाता सुप्रीम कोर्ट जाने से इंकार कर दें, तो सुप्रीम कोर्ट को भी अपने अंतरकरण में झांक कर देखने की जरूरत है- ये नागरिक के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ।

एक प्रश्न पर कि सरकार की और से ऐसा लग रहा है कि अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग कानून बनाने की बात हो रही है, श्री सुरजेवाला ने कहा कि जो हमारे पत्रकार साथियों ने, जो यूट्यूब पर पत्रकार वार्ता को देख रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि सरकार ये कह रही है कि ये अधिकार कानून लागू या ना लागू करने के, राज्यों पर छोड़ दिए जाएं। ऐसा कोई औपचारिक बयान अभी तक मैंने कृषि मंत्री जी का नहीं देखा। पर ये सच है कि आज के समाचार पत्रों में, हिंदी समाचार पत्रों में ये खबर प्रमुखता से छपी है। तो तोमर साहब, अगर ये बात सही है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, मोदी जी से और तोमर जी से, अगर सारी बात प्रांतों पर ही छोड़नी है, तो आपने कानून क्यों बनाया? तो ये साफ है कि ये कानून गलत हैं, तो ये साफ है कि आपको ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं, तो ये साफ है कि आप कानून बना ही नहीं सकते, तो अगर प्रांतों पर ही छोड़ना है, तो ये काले कानून खत्म करिए। प्रांतों ने तो ये काले कानून बनाए ही नहीं और इसके साथ-साथ ये भी देखिए, इन काले कानूनों में इंटर-स्टेट ट्रेड की चर्चा है। तो हरियाणा प्रांत, हरियाणा की ज्यूरिस्टिक्शन से बाहर इंटर-स्टेट ट्रेड को गवर्न कैसे करेगा, कैसे कानून बनाएगा, तो क्यों मजाक कर रहे हैं, क्यों बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों किसान का मजाक उड़ा रहे हैं? और मोदी जी और तोमर साहब, अगर ये बात सच है तो ये भी बताईए, न्यूनतम समर्थन मूल्य और एमएसपी तो केन्द्र सरकार निर्णय करती है, तो प्रांत अगर कानून बना भी देगा, एक प्रांत ने बना भी दिया, कांग्रेस के एक प्रांत ने, जैसा हमने बनाया भी है, जिसको आप अनुमति नहीं दे रहे और पड़ोस में मध्यप्रदेश, भारतीय जनता पार्टी ने वो कानून मानने से इंकार कर दिया, तो क्या

एमएसपी टूट नहीं जाएगा? तो इसलिए ये कहकर किसानों को अपमानित मत करिए, कानून केन्द्र में आप बनाएं और छोड़ दें प्रांतों के ऊपर, इसलिए ये बचकानी और बेवकूफाना बातें बंद करिए।

**Sd/-
(Dr. Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC**